13/5/22

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

सीताराम बनाम गोपाल वगै0

मुकदमा **संख्या** :–11/2022

दिनांक	**आज्ञा – पत्र**
13.05.2022	

प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी बाबत विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति के कम में आदेश

दिनांकः– 13.05.2022

प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी मूल वाद में आगामी पेशी दिनांक 20.05. 2022 नियत है। अप्रार्थी / वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 10.12.2013 को विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 1990 / 2270, 1992, 1993, 1996, 1999, 2028, 2029, 2045 ता 2052, 2056 ता 2060, 2061 / 2418, 2070 / 2419, 2071 ता 2079 कुल किता 32 का कुल रकबा 16.17 हैक्टेयर व खसरा नं0 2061 ता 2070, 2082, 2134 कुल किता 12 का कुल रकबा 7.79 हैक्टेयर वाके ग्राम चेता का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया था तथा दिनांक 11.06.2018 को उक्त प्रकरण में न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में दिनांक 10.12.2013 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म करते हुए पत्रावली को फैसल शुमार कर दिया गया। उक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमियों का मौके पर मनबंट कर बंटवारा कर अपने हिस्से पर पुख्ता मकान, पशु खाम, बाड़ा इत्यादि का निर्माण कर रखा है। प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपनी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन लेने के लिए संबंधित विद्युत विभाग में आवेदन किया गया है जिस पर [illegible] द्वारा नियमानुसार जांच करते हुए डिमाण्ड नोटिस दिनांक 08.04.20[illegible] जारी किया जा चुका है। लेकिन उक्त प्रकरण में रिकार्ड व मौके का स्थगन होने के कारण संबंधित विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी को विद्युत कने[illegible] जारी नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी अत्यन्त ही गरीब व काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसके पास कृषि के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है तथा विद्युत कनेक्शन के अभाव में प्रार्थी का कृषि कार्य करना असंभव है। यदि श्रीमान द्वारा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:11:49 IST
Reason: SelfAttested

को विद्युत कनेक्शन की अनुमति दी जाती है तो इससे वाद पत्र के पद्वक्षकारों व वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन से जोड़े जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में दिनांक 10.12.2013 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया गया है। प्रार्थी कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन लगवाना चाहता है, जोकि मूलभूत आवश्यकताओं में होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा इससे वाद की प्रकृति व वाद पत्र के पक्षकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में दिनांक 10.12.2013 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश में प्रार्थी को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की हद तक छूट प्रदान की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:11:49 IST
Reason: SelfAttested